



उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग

विज्ञापन संख्या
ए-4/ई-1/2023
दिनांक 04.09.2023

स्टाफ नर्स आयुर्वेद (पुरुष/महिला) परीक्षा-2023

ऑनलाइन आवेदन प्रारम्भ होने की तिथि : 04.09.2023

ऑनलाइन आवेदन स्वीकार (Submit) किये जाने की अन्तिम तिथि : 04.10.2023

ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अन्तिम तिथि : 04.10.2023

महत्वपूर्ण

- (i) ऑटोटीओआर नम्बर के अभाव में ऑनलाइन आवेदन सम्बन्धित नहीं किया जा सकता है।
- (ii) ऐसे अर्थव्यर्थी जिन्होंने ऑटोटीओआर नम्बर प्राप्त नहीं किया है वे ऑनलाइन आवेदन करने के 72 घण्टे पूर्व आयोग की वेबसाइट <https://otr.pariksha.nic.in> से ऑटोटीओआर नम्बर प्राप्त कर लें।
- (iii) ऑटोटीओआर नम्बर प्राप्त करने के उपरान्त ही आयोग की वेबसाइट <https://otrup.up.nic.in> पर ऑनलाइन आवेदन सम्बन्धित किया जा सकता है।

- (2) अपूर्ण ऑन-लाइन आवेदन-पत्र निरस्त कर दिये जायेंगे और इस सम्बन्ध में कोई भी प्रत्यवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- (3) किसी भी स्तर पर परीक्षणोपरान्त यदि यह तथ्य प्रकाश में आता है कि अर्थव्यर्थी द्वारा कोई सूचना छिपाई गई है अथवा गलत भरी गई है, तो उसका अर्थव्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा तथा आयोगी परीक्षाओं/चयनों से उसे हटायकर किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- (4) अर्थव्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे ऑनलाइन आवेदन करते समय सभी चरणों (यथा-O.T.R., फाइनल सबमिशन, फीस भुगतान, अर्हता से संबंधित संपादन/त्रुटि सुधार इत्यादि) की सूचनाएं साफ़ व हार्ड कॉपी के रूप में भविष्य हेतु संरक्षित करना सुनिश्चित करें।

विशेष सूचना - (1) (क) आवेदन 'Submit' करने का सम्पूर्ण दायित्व अर्थव्यर्थी का होगा। बैंक में शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि तक शुल्क जमा करने के बाद ही आवेदन पत्र स्वीकार किया जायेगा। (ख) O.T.R. के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर और e-mail ID पर भविष्य में सभी सूचनाएं/निर्देश एमएसएमएस द्वारा अथवा e-mail पर प्रेषित किये जायेंगे। अर्थव्यर्थियों को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे आयोग की वेबसाइट का अनवरत अवलोकन करते रहेंगे।

ऑनलाइन आवेदन करने वाले अर्थव्यर्थियों के लिये आवश्यक सूचना

यह विज्ञापन आयोग की [Website https://otrup.up.nic.in](https://otrup.up.nic.in) पर ही उपलब्ध है। इस विज्ञापन में आवेदन करने हेतु 'O.T.R.' धारित 'ON-LINE APPLICATION SYSTEM' लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अतएव अर्थव्यर्थी ऑन-लाइन आवेदन ही करें।

"ऑन-लाइन आवेदन" करने के सम्बन्ध में अर्थव्यर्थियों से अपेक्षित है कि वे निम्नलिखित निर्देशों को माली भाँति समझ लें और तदनुसार आवेदन करें:-

1. आयोग की [website https://otrup.up.nic.in](https://otrup.up.nic.in) पर 'ALL NOTIFICATIONS / ADVERTISEMENTS' अर्थव्यर्थी द्वारा Click करने पर 'ON-LINE ADVERTISEMENTS' स्वतः प्रदर्शित होंगे, जिसमें निम्नलिखित तीन भाग हैं:-

- (i) **User Instructions**
- (ii) **View Advertisement**
- (iii) **Apply**

User Instructions में अर्थव्यर्थियों को ऑन-लाइन फार्म भरने से सम्बन्धित दिशा-निर्देश दिये गये हैं। अर्थव्यर्थी इनमें से जिस विज्ञापन को देखना चाहें, उसके सामने "View Advertisement" को Click करें। ऐसा करने पर पूरे विज्ञापन के साथ ऑन-लाइन आवेदन की प्रक्रिया से सम्बन्धित Sample Snapshots भी प्रदर्शित होंगे।

"ऑन-लाइन आवेदन" करने का कार्य निम्नांकित चार स्तरों पर किया जायेगा:-

1. ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व अर्थव्यर्थियों को O.T.R. पंजीकरण (O.T.R. Registration) कर O.T.R. नम्बर प्राप्त करना अनिवार्य है।

प्रथम चरण - APPLY Click करने पर परीक्षा के साक्षे 'Authenticate with O.T.R.' प्रदर्शित होगा तथा 'Authenticate with O.T.R.' पर Click करने के उपरान्त 'Have You Completed your O.T.R. Registration' प्रदर्शित होगा, जिसमें अर्थव्यर्थी को 'Yes' अथवा 'No' पर Tick करना होगा। अर्थव्यर्थी यदि:-

- (i) 'Yes' पर Tick करने के पश्चात् 'Go' बटन पर Click करता है तो - a. संप्रथम आवेदक को आयोग के ओ.टी.आर. वेब पोर्टल (<https://otr.pariksha.nic.in/>) से एकल अवसरपूर्व पंजीकरण संख्या (ओ.टी.आर. नम्बर) प्राप्त करना होगा। b. ओ.टी.आर. नम्बर प्राप्त करने के पश्चात् प्रथम चरण में दर्शित प्रक्रियानुसार अर्थव्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

द्वितीय चरण - प्रथम चरण की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात् स्क्रीन पर अर्थव्यर्थी का पता O.T.R. से स्वतः प्रदर्शित होगा एवं साथ ही पर से सम्बन्धित अधिमानी अर्हताओं में प्रदर्शित होंगी। अर्थव्यर्थी को विज्ञापित पद के लिये निर्धारित की गयी अधिमानी अर्हताओं के समूह कालम में Yes या No का चुनाव करना होगा।

तृतीय चरण - द्वितीय चरण की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात् स्क्रीन पर 'Click here to proceed for payment' क्लिक के साथ 'Fees to be deposited [in INR]' प्रदर्शित होगा। उक्त क्लिक पर 'View करने के पश्चात् 'स्टेट बैंक MOPs (Multi option payment system)' का Home page प्रदर्शित होगा जिस पर भुगतान के तीन माध्यम (Mode) प्रदर्शित होंगे:-

- (i) NET BANKING (ii) CARD PAYMENTS (iii) OTHER PAYMENT MODES. प्रथम माध्यमों में से किसी एक माध्यम द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करने के पश्चात् Payment Acknowledgement Receipt (PAR) प्रदर्शित होगी जिसमें शुल्क जमा करने का पूरा विवरण अंकित रहेगा, इसका प्रिन्ट 'Print Payment Receipt' पर क्लिक करके प्राप्त कर लें। 'Payment Failed' होने की स्थिति में अर्थव्यर्थी 'Candidate Dashboard' में जाकर O.T.R. नम्बर भरने के उपरान्त O.T.P. अथवा O.T.R. Password के माध्यम से authenticate और 'Pending Payment' पर Click कर ऑनलाइन आवेदन हेतु अनिवार्य रूप से शुल्क भुगतान करें।

चतुर्थ चरण - तृतीय चरण की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात् अर्थव्यर्थी O.T.R. Dashboard में जाकर ऑनलाइन आवेदन का प्रिन्ट भी प्राप्त कर सकता है। यदि अर्थव्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी नहीं की जाती है तो उसका अर्थव्यर्थन स्वीकार नहीं किया जायेगा एवं सम्पूर्ण दायित्व अर्थव्यर्थी का होगा। अर्थव्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन का प्रिन्ट लेकर इसे अपने पास सुरक्षित रखना होगा, किसी विसंगति की दशा में उक्त प्रिन्ट आयोग कार्यालय में अर्थव्यर्थी को प्रस्तुत करना होगा अथवा अर्थव्यर्थी का अनुरोध/दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा। आवेदनोपरान्त अनिवार्य व अधिमानी अर्हता में कोई त्रुटि प्राप्त होने की स्थिति में 'Home Page' के 'Candidate Dashboard (O.T.R. Based)' के 'Modify Application' पर Click कर आवेदित पत्र की अनिवार्य व अधिमानी अर्हता में संशोधन कर सकते हैं।

नोट:- अर्थव्यर्थियों को यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रारम्भिक परीक्षा के स्तर पर वे अपने अभिलेख एवं ऑनलाइन आवेदन सम्बन्धी हार्ड कॉपी आयोग को प्रेषित न करें।

2- आवेदन शुल्क : ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया में प्रथम एवं द्वितीय चरण की कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात् तृतीय चरण में दिये गये निर्देशों के अनुसार श्रेणीवार परीक्षा शुल्क जमा करें। प्रारम्भिक परीक्षा हेतु श्रेणीवार निर्धारित शुल्क निम्नानुसार है:-

- | | |
|--|---|
| (i) अनारक्षित/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग | परीक्षा शुल्क ₹ 100/- + ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क ₹ 25/- योग = ₹ 125/- |
| (ii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति | परीक्षा शुल्क ₹ 40/- + ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क ₹ 25/- योग = ₹ 65/- |
| (iii) दिव्यांगजन | परीक्षा शुल्क NIL + ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क ₹ 25/- योग = ₹ 25/- |
| (iv) भूतपूर्व सैनिक | परीक्षा शुल्क ₹ 40/- + ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क ₹ 25/- योग = ₹ 65/- |
| (v) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी - के आश्रित/महिला/कुशल खिलाड़ी | अपनी मूल श्रेणी के अनुसार |

3. अर्थव्यर्थी द्वारा आवेदन में किया गया दावा सत्य नहीं पाये जाने पर अर्थव्यर्थी को आयोग के समस्त चयनों/परीक्षाओं से हटायकर देने की कार्यवाही तथा अन्य दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

नोट - पूर्ण आवेदन जमा करने की अन्तिम तिथि व समय तक अर्थव्यर्थी द्वारा 'ON-LINE APPLICATION' प्रक्रिया में 'Payment करना अति आवश्यक है। अर्थव्यर्थी उसका प्रिन्ट आउट प्राप्त कर लें और उसे सुरक्षित रखें।

4. उ०३० लोक सेवा आयोग स्टाफ नर्स आयुर्वेद (पुरुष/महिला) मुख्य (लिखित) परीक्षा में प्रवेश के लिये उपयुक्त अर्थव्यर्थियों का चयन करने हेतु इस विज्ञापन के परिशिष्ट-1 में अंकित जिलों के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर एक प्रारम्भिक परीक्षा (बहुविकल्पीय प्रकारक) का आयोजन करेंगे। चयन मुख्य (लिखित) परीक्षा में प्राप्त अंकों एवं उत्तर प्रदेश आयुष्य विभाग (आयुर्वेद) नर्सिंग सूचना नियमावली 2021 के नियम 15(4) के प्रावधानानुसार श्रेष्ठता (Merit) के अनुसार होगा। आयोग द्वारा अर्थव्यर्थियों को परीक्षा की तिथि तथा केंद्र की सूचना ई-पत्रों के माध्यम से दी जायेगी। अंतिम रूप से प्राप्त आवेदन पत्रों की सूचना के अनुसार आयोग के निर्णयानुसार जिला/केंद्रों की संख्या घटाई/बढ़ाई जा सकती है।
5. वर्तमान में उ०३० आयुष्य विभाग (आयुर्वेद) के अन्तर्गत स्टाफ नर्स आयुर्वेद (पुरुष) पर की 252 रिक्तियों 48 तथा स्टाफ नर्स आयुर्वेद (महिला) पर की 60 रिक्तियों 252 हैं जो कि परिस्थितियों एवं आवश्यकतानुसार घट/बढ़ सकती हैं।

पद की प्रकृति:- समूह 'ख' अन्तर्गत।
वेतनमान:- ग्रेड पे - ₹. 4600/- (वेतनमान- लेवल-7, पे मैट्रिक रूपसे)

44900-142400/-)।
6. आरक्षण: उ०३० की अनुसूचित जातियों/उ०३० की अनुसूचित जनजातियों/उ०३० के अन्य पिछड़े वर्गों/उ०३० के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के अर्थव्यर्थियों के लिये आरक्षण विद्यमान शासकीय नियमों के अनुसार दिया जायेगा। इसी प्रकार क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत आने वाली श्रेणियों यथा-उ०३० के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित/महिला अर्थव्यर्थी/उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व सैनिकों/उ०३० के समाज के दिव्यांग अर्थव्यर्थियों को भी विद्यमान शासकीय नियमों के अनुसार रिक्तियां बनने पर आरक्षण अनुमत्य होगा। उ०३० के समाज के दिव्यांग अर्थव्यर्थियों के लिये शासन द्वारा अधिसूचित (विहित) किये गये पदों पर रिक्तियां बनने पर आरक्षण अनुमत्य होगा।

नोट:- (1) उ०३० के समाज के दिव्यांग अर्थव्यर्थियों के लिए शासन द्वारा अधिसूचित (विहित) किये गये पदों पर क्लिक के संयोग में जारी कार्यालय धारा सं० 5/2022/18/1/2008/47/का-2/2022 दिनांक 18 अप्रैल, 2022 के वि०-6 (अनारक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति) में प्राविधान निम्नानुसार किया गया है- दिव्यांगता से प्रत्येक व्यक्तियों के लिए उपयुक्त विहित किये गये पदों में दिव्यांगता से प्रत्येक व्यक्तियों को किसी अनारक्षित रिक्ति पर नियुक्ति के लिये प्रतिस्पर्धा करने से मना नहीं किया जा सकता है अर्थात् दिव्यांगता से प्रत्येक व्यक्ति को किसी अनारक्षित रिक्ति पर नियुक्त किया जा सकता है शर्तों की परंपरा में दिव्यांगता से प्रत्येक व्यक्तियों के लिए एकाधिक रिक्तियां किये गये हैं। शासनद्वारा अनुसूचित प्रसंगत पद दिव्यांगता की अपरिचित उपश्रेणियों के लिए वि-विहित किया गया है - OL, HH, LC, DW, AA.

(2) शासनद्वारा संख्या 39 रि-र/का-2/2019 दिनांक 26 जून, 2019 द्वारा शासनद्वारा संख्या 18/1/99/का-2/2006 दिनांक 9 जनवरी, 2007 के प्रस्तर 4 में दिये गये प्राविधान, 'यह भी स्पष्ट किया जाता है कि राज्यधीन कोट सेवानों में परी पर सीधी भर्ती के प्रक्रम पर महिलाओं को अनुमत्य उपरोक्त आरक्षण केवल उत्तर प्रदेश की मूल निवासी महिलाओं को ही अनुमत्य है, जो रिट याचिका संख्या 11039/2018 रिपिन कुमार मौर्या व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य तथा संख्या 6 अन्य रिट याचिकाओं में मा उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिनांक 16.01.2019 को अधिकारताके (ULTRA VIRES) घोषित करने संबंधी निर्णय के अनुपालन में शासनद्वारा दिनांक 09.01.2007 से प्रस्तर 04 को विलोपित किये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त निर्णय शासन द्वारा मा उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16.01.2019 के विरुद्ध द्वारा विशेष मूला (डी) संख्या 475/2019 में मा उच्च न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होगा।'

(3) किसी भी आरक्षित श्रेणी में आने वाले अर्थव्यर्थी, यदि वे आरक्षण का लाभ चाहते हैं, तो O.T.R. के संबंधित स्तर में अपनी श्रेणी/उप श्रेणी (एक या एक से अधिक, जो भी हो) अर्थात् अंकित करें (क्याकि समस्त व्यक्तिगत सूचनाएं O.T.R. से स्वतः आवेदन पत्र में प्रदर्शित होंगी)

(4) आरक्षण/आयु में छूट का लाभ चाहने वाले अर्थव्यर्थी संबंधित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन के परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्राप्त कर एवं जब उनसे अपेक्षा की जाये तब वे उसे आयोग को प्रस्तुत करें। (5) उ०३० को आरक्षित श्रेणी के सभी अर्थव्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी/उप श्रेणी अर्थात् अंकित करें। (6) एक से अधिक आरक्षित श्रेणी/आयु सीमा में छूट का दावा करने वाले अर्थव्यर्थियों को केवल एक छूट, जो अधिक लाभकारी होगी ही दी जायेगी। (7) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, दिव्यांगजन तथा भूतपूर्व सैनिक अर्थव्यर्थियों को, जो उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी नहीं है, उन्हें आरक्षण/आयु में छूट का लाभ अनुमत्य नहीं है। (8) महिला अर्थव्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा। (9) अर्थव्यर्थी द्वारा प्रारम्भिक परीक्षा में अपने आवेदन में पात्रता तथा आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु जिस श्रेणी/उप श्रेणी की दायता किये जाने पर एक से अधिक समर्थन में समस्त वांछित प्रमाण-पत्रों की व्यवस्थागत प्रतियां मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य है अथवा उनका दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

7. आपात कमीशन प्राप्त/अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारियों की पात्रता शर्तों (केवल आयु में छूट हेतु) - आपात कमीशन प्राप्त/अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारी, जो सेना से अवसृत नहीं हूँ हैं किन्तु जिनकी सेवा से बहिष्कृत करने के लिये की गयी है, भी इस परीक्षा के लिये शासनद्वारा संख्या-22/10/1976-कार्मिक-2-85, दिनांक 30 जनवरी, 1985 के अनुसार निर्माणाधिकृत शर्तों पर आवेदन कर सकते हैं- (अ) ऐसे आवेदकों को थल सेना/नौ सेना/वायु सेना के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनकी सेवा में बहिष्कृत करने के लिये की गयी है और उनके विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही लंबित नहीं है। (ब) ऐसे आवेदकों को क्या समय यह लिखित अपडेटेडिंग प्रस्तुत करनी होगी कि आवेदित पद के लिये चुने लिये जाने पर वे अपने को सैन्य सेवा से तत्काल अनुसृत करा लेंगे। आपात/अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारी को यह सुविधा अनुमत्य नहीं होगी, यदि (क) उन्हें सेना में स्थाई कमीशन प्राप्त हो गया हो। (ख) वह व्यंग्य पत्र देकर सेना से अवसृत हुआ हो एवं (ग) वह सेना से कदावार अथवा शारीरिक अक्षमता के कारण अथवा स्वयं की प्रार्थना पत्र के आधार पर अवसृत न हुआ हो और जिसके गैरउत्प्रेक्ष्य प्रदान की गयी हो।

8. वैधानिक प्राश्निकाएं - ऐसे विवाहित पुरुष अर्थव्यर्थी, जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो तथा महिला अर्थव्यर्थी जिन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसकी पहले से ही एक पत्नी हो, पात्र नहीं होंगे, जब तक कि महाभारत राज्यपाल ने उक्त शर्त से छूट प्रदान न कर दी हो।
9. शैक्षिक अर्हता:-

<p>शैक्षणिक अर्हता</p>	<p>स्टाफ नर्स (आयुर्वेद) के पद पर सीधी भर्ती हेतु किसी अर्थाथ के लिये निम्नलिखित अर्हताएं होनी आवश्यक हैं :- 1. माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश से विज्ञान के साथ हाईस्कूल और इण्टरमीडियट परीक्षा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसक समकक्ष कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो। 2. आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिथी चिकित्सा पद्धति बोर्ड, उत्तर प्रदेश के साथ पंजीयन योग्य चिकित्सा एवं सर्जिकल नर्सिंग (आयुर्वेद) में डिप्लोमा धारित करता हो। 3. आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिथी चिकित्सा पद्धति बोर्ड, उत्तर प्रदेश के साथ पंजीयन योग्य मिडवाइफरी (आयुर्वेद) में डिप्लोमा धारित करता हो। 4. आयुर्वेद एवं मिडवाइफ (घातित) के रूप में आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिथी चिकित्सा पद्धति बोर्ड, उत्तर प्रदेश से पंजीकरण प्रमाण-पत्र धारित करता हो।</p>
<p>(क) अधिमात्री अर्हता</p>	<p>अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अर्थाथ को अधिमात्रा दिया जायेगा जिसने :- 1. यादविका सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या 2. राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।</p>

पद की संगत सेवानियमावली
'स्टाफ नर्स आयुर्वेद (पुरुष/महिला) पत्रों का वयन उत्तर प्रदेश आयुष विभाग (आयुर्वेद) नर्सिंग सेवा नियमावली-2021 में दिये गये प्राविधानानुसार की जाती है।'

- नोट-** माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश के पत्र सं०- परिषद-9/743 दिनांक 25.10.2016 द्वारा निर्माणित परीक्षा संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षाओं को हाईस्कूल परीक्षा के समकक्ष स्वीकार किया गया है। उक्त के अतिरिक्त किसी भी संस्था द्वारा संचालित हाईस्कूल परीक्षा (कक्षा-10) मान्य नहीं है:-
- 1- बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (आन्ध्र प्रदेश)
 - 2- बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन गुवाहाटी, असम।
 - 3- बिहार स्कूल एजामिनेशन बोर्ड, पटना।
 - 4- सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, नई दिल्ली।
 - 5- छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, रायपुर।
 - 6- काउन्सिल फार दी इड्युकेशन स्कूल सर्टीफिकेट एजामिनेशन, नई दिल्ली।
 - 7- दयालबाग एजुकेशन इस्टीमेट (डीन्यू यूनिवर्सिटी) आगरा।
 - 8- गोवा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एण्ड हायर सेकेंडरी एजुकेशन, गोवा।
 - 9- गुजरात सेकेंडरी एण्ड हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड, गाँधीनगर, गुजरात।
 - 10- बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा, भिवानी।
 - 11- हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, धर्मशाला, कांगड़ा।
 - 12- जेओ एण्ड केओ स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, जम्मू।
 - 13- झारखण्ड एकेडमी काउन्सिल, राँची।
 - 14- कर्नाटक सेकेंडरी एजुकेशन एजामिनेशन बोर्ड, बंगलौर।
 - 15- केरला बोर्ड ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन, तिरुवनंतपुरम।
 - 16- महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एण्ड हायर सेकेंडरी एजुकेशन, पुणे।
 - 17- बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, मध्य प्रदेश, भोपाल।
 - 18- बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, मणिपुर, इम्फाल।
 - 19- मेघालय बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, मेघालय।
 - 20- मिजोरम बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, एजाल।
 - 21- नागालैण्ड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, कोहिमा।
 - 22- बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, उड़ीसा, कटक।
 - 23- पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड, मोहाली।
 - 24- बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, अजमेर।
 - 25- स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजामिनेशन, (सेकेंडरी) एण्ड बोर्ड ऑफ हायर सेकेंडरी एजामिनेशन, तमिलनाडु।
 - 26- त्रिपुरा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, अगरतला।
 - 27- वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, कोलकता।
 - 28- बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन उत्तराखण्ड, रामनगर, नैनीताल।
 - 29- उ०प्र० मद्रस शिक्षा परिषद, लखनऊ द्वारा संचालित मौलवी परीक्षा, अरबी और मुंजी परीक्षा फारसी।
 - 30- माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा संचालित पूर्व मध्यमा अथवा कोई अन्य उच्चतर संस्कृत।
 - 31- राष्ट्रीय ओपन स्कूल नई दिल्ली द्वारा संचालित सेकेंडरी (माध्यमिक) परीक्षा इस प्रतिबन्ध के साथ कि यह परीक्षा कम से कम छः विषयों में उत्तीर्ण की गई हो।
 - 32- भारत में विधि द्वारा स्थापित ऐसे परीक्षा संस्था/विश्वविद्यालय द्वारा संचालित हाईस्कूल (मैट्रिकुलेशन) अथवा इसके समकक्ष संचालित परीक्षाएं जिसके संबंध में अधि. माध्यमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन का समाधान हो गया है, परिषद की हाईस्कूल परीक्षा के समकक्ष मान्य होगी।
 - 33- ऐसे छात्र/छात्राएं जिन्होंने कक्षा 8 की परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से 02 वर्षीय या उससे अधिक अवधि का औद्योगिक प्रशिक्षण पूर्ण कर राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद (एन०सी०वी०टी०) द्वारा जारी राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र (एन०टी०सी०) अथवा राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश (एन०टी०सी०टी०) द्वारा जारी राज्य स्तरीय प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो, उन्हें माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित हाईस्कूल (कक्षा-10) की इतिनी विषय की परीक्षा व्यतिनात परीक्षार्थी के रूप में उत्तीर्ण करने की दशा में परिषद की हाईस्कूल (कक्षा-10) के समकक्ष माना जायेगा।
 - 34- गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार, उत्तराखण्ड द्वारा संचालित विद्याधिकारी परीक्षा।
 - 35- महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय रोहतक द्वारा संचालित पूर्व मध्यमा परीक्षा। प्रतिबन्ध यह है कि पूर्व मध्यमा परीक्षा कम से कम पांच विषयों में, जिसमें भाषा के अतिरिक्त दो अन्य विषय सम्मिलित हों, सहित उत्तीर्ण की गई हो।

- वर्ष-1998 से प्रभावी माना जाय।
- नोट-** उक्त के अतिरिक्त माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज की अधिपूजना दिनांक 17.11.2020 में प्राक्कानित व्यवस्थानुसार।
- इसी प्रकार निर्माणित परीक्षा संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षाओं को परीषद की इण्टरमीडिएट परीक्षा (कक्षा-12) के समकक्ष मान्यता प्रदान की गयी है:-**
- 1- बोर्ड ऑफ इण्टरमीडिएट एजुकेशन (आन्ध्र प्रदेश)।
 - 2- असम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउन्सिल, गुवाहाटी।
 - 3- गडमैन्ट ऑफ कर्नाटक डिपार्टमेंट ऑफ प्री-यूनिवर्सिटी एजुकेशन, बंगलौर।
 - 4- काउन्सिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन, उड़ीसा।
 - 5- बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन उत्तराखण्ड, रामनगर, नैनीताल।
 - 6- गुजरात सेकेंडरी एण्ड हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड गाँधीनगर।
 - 7- केरला बोर्ड ऑफ पब्लिक एजामिनेशन, तिरुवनंतपुरम।
 - 8- महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एण्ड हायर सेकेंडरी एजुकेशन, पुणे।
 - 9- काउन्सिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन, मणिपुर, इम्फाल।
 - 10- वेस्ट बंगाल काउन्सिल ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, कोलकता।
 - 11- माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा संचालित उत्तर मध्यमा परीक्षा।
 - 12- उत्तर प्रदेश मद्रस शिक्षा परिषद, लखनऊ द्वारा संचालित आलिम परीक्षा।
 - 13- बिहार स्कूल एजामिनेशन बोर्ड, पटना।
 - 14- सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, नई दिल्ली।
 - 15- छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, रायपुर।
 - 16- काउन्सिल फार दी इड्युकेशन स्कूल सर्टीफिकेट एजामिनेशन, नई दिल्ली।
 - 17- दयालबाग एजुकेशन इस्टीमेट (डीन्यू यूनिवर्सिटी) दयालबाग, आगरा।
 - 18- गोवा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एण्ड हायर सेकेंडरी एजुकेशन, गोवा।
 - 19- बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा, भिवानी।
 - 20- हिमांचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, कांगड़ी।
 - 21- जेओ एण्ड केओ स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, जम्मू।
 - 22- झारखण्ड एकेडमी काउन्सिल, राँची।
 - 23- माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्य प्रदेश, भोपाल।
 - 24- मेघालय बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, मेघालय।
 - 25- मिजोरम बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, एजाल।
 - 26- नागालैण्ड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, कोहिमा।
 - 27- पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड, मोहाली।
 - 28- माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर।
 - 29- स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजामिनेशन (सेकेंडरी) एवं बोर्ड ऑफ हायर सेकेंडरी एजामिनेशन, तमिलनाडु।
 - 30- त्रिपुरा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, अगरतला।
 - 31- राष्ट्रीय ओपन स्कूल नई दिल्ली द्वारा संचालित सीनियर सेकेंडरी (उच्च माध्यमिक) परीक्षा इस प्रतिबन्ध के साथ की ये परीक्षा कम से कम पांच विषयों में उत्तीर्ण की गई हो।
 - 32- भारत में विधि द्वारा स्थापित ऐसे परीक्षा संस्था/विश्वविद्यालय द्वारा संचालित इण्टरमीडिएट अथवा इसके समकक्ष संचालित परीक्षाएं जिसके संबंध में अधि. माध्यमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन का समाधान हो गया है, परिषद की इण्टरमीडिएट परीक्षा के समकक्ष मान्य होगी।
 - 33- डॉ० शकुन्तला मिश्रा पुनर्वासि विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा संचालित प्री-डिग्री सर्टीफिकेट फार डेफ स्टूडेंट परीक्षा इस प्रतिबन्ध के साथ की ये परीक्षा पांच विषयों के साथ उत्तीर्ण की गई हो।
 - 34- ऐसे छात्र/छात्राएं जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा परिषद की कक्षा 10 की परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था से 02 वर्षीय या उससे अधिक अवधि का औद्योगिक प्रशिक्षण पूर्ण कर राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद (एन०सी०वी०टी०) द्वारा जारी राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र (एन०टी०सी०) अथवा राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश (एन०टी०सी०टी०) द्वारा जारी राज्य स्तरीय प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो, उन्हें माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित इण्टरमीडिएट (कक्षा-12) की परीक्षा के इतिनी विषय की परीक्षा व्यतिनात परीक्षार्थी के रूप में उत्तीर्ण करने की दशा में परिषद की इण्टरमीडिएट (कक्षा-12) के समकक्ष माना जायेगा।
 - 35- प्राथमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित तीन वर्षीय डिप्लोमा परीक्षा।
 - 36- महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय रोहतक द्वारा संचालित उत्तर मध्यमा परीक्षा। प्रतिबन्ध यह है कि उत्तर मध्यमा परीक्षा कम से कम पांच विषयों में, जिसमें भाषा के अतिरिक्त दो अन्य विषय सम्मिलित हों, सहित उत्तीर्ण की गई हो। वर्ष-1998 से प्रभावी माना जाय।
- उक्त के अतिरिक्त किसी भी परीक्षा संस्था द्वारा संचालित इण्टरमीडिएट परीक्षा (कक्षा-12) मान्य नहीं है।**
- नोट-** आवेदन Submit किये जाने की अंतिम तिथि तक समस्त अर्हताएं पूर्ण होना आवश्यक हैं।
- 10. आयु सीमा-** (1) अर्थाथियों को 01 जुलाई, 2023 को 21 वर्ष की आयु अवश्य पूरी करनी चाहिए और उन्हें 40 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए अर्थात् उनका जन्म 02 जुलाई, 1983 से पूर्व तथा 01 जुलाई, 2002 के बाद का नहीं होना चाहिए। दिव्यांगजन हेतु अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष है अर्थात् अर्थाथियों का जन्म 02 जुलाई, 1968 के पूर्व का नहीं होना चाहिए। (2) अधिकतम आयु सीमा में छूट:- (क) उ०प्र० के अनुसूचित जाति, उ०प्र० के अनुसूचित जनजाति, उ०प्र० के अन्य पिछड़े वर्ग के अर्थाथियों, उ०प्र० के वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ियों तथा उ०प्र० सरकार के राजकीय कर्मचारियों को उ०प्र० वैसिक शिक्षा परिषद/वी० शिक्षक/शिक्षाभेतर कर्मचारियों तथा उ०प्र० के अर्धनियमित माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों/ कर्मचारियों के लिये अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमत्य होगी अर्थात् उनका

जन्म 02 जुलाई, 1978 के पूर्व का नहीं होना चाहिए। (ख) उ०प्र० के समाज के दिव्यांग अर्थाथियों के लिये अधिकतम आयु सीमा 15 वर्ष अधिक होगी। (ग) उ०प्र० के आगत कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पव्यक्तिक कमीशन प्राप्त अधिकारियों/भूतपूर्व सैनिकों के लिये अधिकतम आयु सीमा में सेना में की गई सेवा अवधि + 03 वर्ष के बराबर छूट अनुमत्य होगी।

11. स्टाफ नर्स आयुर्वेद (पुरुष/महिला) मुख्य (लिखित) परीक्षा के संबंध में कतिपय सूचनाएं:- (1) प्रारम्भिक परीक्षा में सफल होने वाले अर्थाथों ही मुख्य (लिखित परीक्षा) में सम्मिलित किये जायेंगे जिसके लिये अर्थाथों के निर्देशानुसार सफल अर्थाथियों को पुनः आवेदन करना होगा एवं अनाश्रित (सामान्य) अर्थाथों, उ०प्र० के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अर्थाथियों, उ०प्र० के अन्य पिछड़े वर्ग के अर्थाथियों तथा उ०प्र० के बाहर के अर्थाथियों के लिये परीक्षा शुल्क रू० 200/- एवं ऑन-लाइन प्रक्रिया शुल्क रू० 25/- योग रू० 225/- तथा उ०प्र० के अनुसूचित जाति/उ०प्र० के अनुसूचित जनजाति के अर्थाथियों हेतु परीक्षा शुल्क रू० 80/- एवं ऑन-लाइन प्रक्रिया शुल्क रू० 25/- योग रू० 105/- निर्धारित है। द्वितीय आश्रण के अन्तर्गत आने वाले उ०प्र० के दिव्यांग अर्थाथियों को मुख्य परीक्षा हेतु कोई शुल्क देना नहीं है। परन्तु उन्हें ऑन-लाइन प्रक्रिया शुल्क रू० 25/- मात्र देना होगा। उ०प्र० के सेना के भूतपूर्व सैनिकों हेतु परीक्षा शुल्क रू० 80/- एवं ऑन-लाइन प्रक्रिया शुल्क रू० 25/- योग रू० 105/- निर्धारित है। उ०प्र० के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित/महिला/उ०प्र० के कुशल खिलाड़ी के अर्थाथों जिस मूल श्रेणी से संबंधित होंगे उन्हें उसी वर्ग/श्रेणी हेतु शुल्क जमा करना होगा। (2) स्टाफ नर्स आयुर्वेद (शु०/मो) मुख्य (लिखित) परीक्षा हेतु अर्थाथियों को आवेदन एवं निर्धारित शुल्क स्वामित्व/जमा करना होगा। (3) अर्थाथों सावधानी पूर्वक नोट कर लें कि मुख्य परीक्षा में वे उसी अनुसूचक पत्र वेंगें जो उन्हें प्रारम्भिक परीक्षा के लिये आवंटित किया गया है। (4) मुख्य परीक्षा हेतु तिथियाँ तथा केन्द्र बाधक नहीं आयेगी। निर्धारित तिथि जायेंगे, जिनकी सूचनाई 11-प्रवेश पत्र के माध्यम से दी जायेगी। (5) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन कार्यरत अर्थाथियों को अपने सेवायोजक का सम्मान प्रधिकारी द्वारा निर्गत अनाश्रित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

नोट- स्टाफ नर्स आयुर्वेद (पुरुष/महिला) परीक्षा 2023 की मुख्य परीक्षा (लिखित परीक्षा) के आवेदन पत्रों में किये जाने वाले समस्त दावों की पुष्टि में स्वयमागित अंक पत्र/प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। यदि वे समस्त दावों की पुष्टि में स्वयमागित अंक पत्र/प्रमाण पत्र संलग्न करने अथवा अतिरिक्त करने की अंतिम तिथि तक प्रेषित नहीं करती हैं तो उनका अर्थाथन निरस्त कर दिया जायेगा।

12. अर्थाथियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश:- (1) उ०प्र० लोक सेवा आयोग के निर्णय के अनुसार किसी भी अर्थाथ को अपने आवेदन पत्र में गलत तथ्यों को, जिनकी प्रमाण पत्र के अक्षर पत्र पुष्टि नहीं की जा सकती है, देने पर अथवा अन्य किसी कदाचार पर आयोग की प्रमाण प्रतीक्षा तथा अन्य समस्त परीक्षाओं एवं घयनों से अधिकतम 05 वर्षों तक प्रतिवर्तित किया जा सकता है। (2) यदि O.T.R. में अंकित व्यतिगत सूचना से संबंधित कोई परिवर्तन किया जाने है तो उस परिवर्तन के पश्चात Dashboard बोर्ड पर SY.CKnc. कना अनिवार्य होगा, अन्यथा परिवर्तन अनुमत्य नहीं होगा। इस संबंध में जुट्टे सुधार/संशोधन हेतु कोई प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। अर्थात् आवेदन पत्र सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जायेगा और इस संबंध में कोई भी पत्राचार स्वीकार नहीं किया जायेगा। गलत/भ्रामक सूचना प्रस्तुत करने पर अर्थाथन निरस्त माना जायेगा। (3) हाईस्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। अर्थाथों को (मुख्य परीक्षा) के आवेदन पत्र के साथ हाईस्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा तथा उक्त प्रमाण पत्र संलग्न न करने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा। (4) मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ अर्थाथों को शैक्षिक योग्यताओं के सम्बन्ध में किये गये दावों की पुष्टि में अंकन, प्रमाण पत्र एवं उपाधि की स्वतः प्रामाणित प्रति संलग्न करना होगा। दावों की पुष्टि में प्रमाण पत्र/अभिलेख संलग्न न करने पर अथवा प्रमाण पत्र/अंक पत्र स्वतः प्रामाणित न होने पर आवेदन पत्र अस्वीकार कर दिया जायेगा। (5) समाज के दिव्यांग अर्थाथियों को उ०प्र० लोक सेवा (शासकीय रूप से विकलांग), स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आश्रण (संशोधन) अधिनियम, 2021 की धारा-3 में उल्लिखित दिव्यांगता से ग्रस्त होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र जो चिकित्साधिकारी/विशेषज्ञ द्वारा निर्गत एवं मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित हो, प्रस्तुत करने पर शासन द्वारा लिखित किए गये पदों पर दिव्यांग की उक्त श्रेणी के अन्तर्गत ही आश्रण का लाभ अनुमत्य होगा। (6) आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक भूतपूर्व सैनिकों को सैन्य सेवा से अवमुक्त होना आवश्यक है। (7) परीक्षा की तिथि, समय तथा केन्द्रों आदि के सम्बन्ध में अनुक्रमणक सहित ई-प्रवेश पत्र के माध्यम से सूचना दी जायेगी। अर्थाथियों को आवंटित केन्द्र पर ही परीक्षा देनी होगी। (8) प्रवेश केंद्र परिवर्तन अनुमत्य नहीं होगा तथा इस सम्बन्ध में कोई भी प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं होगा। (9) जो अर्थाथों कालांतर में विज्ञान की शर्तों के अनुसार अर्ह नहीं पाये जायेंगे, उनका अर्थाथन/चयन निरस्त कर दिया जायेगा और मुख्य परीक्षा में प्रवेश हेतु उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा। अर्थाथियों के अर्थाथन/चयन के सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। (9) आवेदन पत्र निर्धारित प्रमाण पत्र न होने पर, आवेदन पत्र में जन्मतिथि का उल्लेख न करने पर, जुट्टे/पुनर्पत्र जन्मतिथि अंकित करने पर, अभिव्यक्त या अल्पव्यक्त होने पर न्यूनतम शैक्षिक अर्हता धारित न करने पर, आवेदन पत्र प्राप्त किये जाने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के बाद आवेदन पत्र प्राप्त होने पर तथा आवेदन पत्र के घोषणा पत्र के नीचे हस्ताक्षर न करने पर आवेदन पत्र/अर्थाथन निरस्त कर दिया जायेगा। (10) आयोग अर्थाथियों को उनके आवेदन पत्र की सरसरी जांच पर आपोथधिक प्रवेश दे सकते हैं, किन्तु बाद में किसी भी स्तर पर यह पाये जाने पर कि अर्थाथों अर्ह नहीं तथा अथवा आवेदन पत्र प्राथमिक स्तर पर ही स्वीकार करने योग्य नहीं था, उसका अर्थाथन निरस्त कर दिया जायेगा और यदि वयनोपरान्त संस्तुत भी कर दिया गया हो तो आयोग की संस्तुति वापस ले ली जायेगी। (11) कदाशय अर्थात् परीक्षा में नकल करने, अनुशासनहीनता,

पूर्यव्यवहार तथा अन्य अवांछनीय कार्य करने पर अर्न्थी का अर्न्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इन अनुशुची की अवहेलना करने पर अर्न्थी को इस परीक्षा तथा मन्थिच में होने वाली अन्य सम्प्रत परीक्षाओं/चयनों से प्रतिवारित किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। (12) आयोग से सभी पत्राचार में परीक्षा का नाम, विज्ञान संख्या, O.T.R./Application ID Number, जन्मतिथि, पिता/पति का नाम तथा अनुक्रमांक (यदि दिया गया हो) का उल्लेख अवश्य होना चाहिए। (13) नियुक्ति हेतु चयनित अर्न्थियों को निम्नों में अर्न्थित स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा। (14) प्रारम्भिक परीक्षा के आचार पर मुख्य परीक्षा में प्रवेश हेतु रिकितियों के 15 नुमा अर्न्थी सफल घोषित किये जायेंगे। (15) ऐसे अर्न्थी जो पद के लिये निर्धारित अर्न्थका परीक्षा (पद के अनिवार्य अर्न्थ) में सम्मिलित हो रहे हैं, वे इस परीक्षा हेतु आवेदन न करें, क्योंकि वे पद नहीं हैं। (16) अर्न्थी ओएमआर उत्तर पत्र को भरने में केवल एक बार वापस देना का प्रयोग करें। पेप्सिल या किसी अन्य चयन का प्रयोग कदापि न करें। (17) अर्न्थी उत्तर पत्रक (OMR Answer Sheet) पर मांगी गयी सूचना संबंधित गोलों को काला करके सही-सही भरें गोलों कि अर्न्थियों द्वारा उत्तर पत्रक (OMR Answer Sheet) पर गोलों में भरी गई सूचनाएं, जो स्कैनर मशीन द्वारा पढ़ी जा सकें, ही आयोग द्वारा स्वीकार की जाएंगी। इन्हें रिक्त छोड़ना अथवा त्रुटिपूर्ण भरने की स्थिति में OMR Answer Sheet का मूल्यांकन आयोग द्वारा नहीं किया जायेगा जिसके लिये अर्न्थी स्वयं उत्तरदायी होगा। ओएमआर उत्तर पत्रक में भरी गई सूचना को हवाईटनर, ब्लेड अथवा बरफ अदि से मिटाया नहीं जाये। (18) OMR Answer Sheets दो प्रतियों में एक मूल प्रति (Original Copy) तथा दूसरी अर्न्थी प्रति (Candidate's Copy) रहेगी। परीक्षा समाप्त के पश्चात् अर्न्थी OMR Answer Sheets की मूल प्रति (Original Copy) सहायक लेखकों को सौंप देने तथा अर्न्थी प्रति (Candidate's Copy) अपने साथ ले जायेंगे। (19) प्रारम्भिक परीक्षा के वस्तुनिष्ठ प्रकारक क्षमपत्रों में अर्न्थी द्वारा दिये गये गलत उत्तरों पर ढण्ड (Negative Marking) की व्यवस्था निम्नवत लागू होगी- 1. प्रत्येक प्रश्न के लिये चार वैकल्पिक उत्तर हैं। उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिये दिये गये एक गलत उत्तर के लिये प्रश्न हेतु नियत किये गये अंको का 1/3 (0.33) ढण्ड के रूप में काटा जायेगा। 2. यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक उत्तर देता है तो इसे गलत उत्तर माना जायेगा, यद्यपि दिए गए उत्तरों में से एक उत्तर सही होता है, फिर भी इस प्रश्न के लिए उर्ण्यवतानुसार ही उसी तरह ढण्ड दिया जाएगा। 3. यदि उम्मीदवार द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है अर्न्थत् उम्मीदवार द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है तो उस प्रश्न के लिये कोई ढण्ड नहीं दिया जायेगा। (20) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अर्न्थियों के लिये न्यूनतम दक्षता मानक (Minimum Efficiency Standard) 35% निर्धारित है अर्न्थत् इन श्रेणियों के अर्न्थी यदि (प्रारम्भिक/ मुख्य) परीक्षा में 35% से कम अंक प्राप्त करते हैं तो वे श्रेष्ठता/चयन सूची में सम्मिलित नहीं किये जायेंगे। इसी प्रकार, अन्य श्रेणियों के अर्न्थियों के लिये न्यूनतम दक्षता मानक (Minimum Efficiency Standard) 40% निर्धारित है अर्न्थत् ऐसे अर्न्थी यदि (प्रारम्भिक/ मुख्य) परीक्षा में 40% से कम अंक प्राप्त करते हैं तो वे श्रेष्ठता/चयन सूची में सम्मिलित नहीं किये जायेंगे। ऐसे सभी अर्न्थी आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम दक्षता मानक (Minimum Efficiency Standard) से कम अंक पाते पर अर्न्थत् माने जायेंगे। (21) आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों/अर्न्थियों को अंतिम चयन में अनारक्षित श्रेणी के पदों पर तभी सम्मोजित किया जायेगा जब उनके द्वारा प्रारम्भिक/ मुख्य परीक्षा के स्तर पर योग्यता मानक में कोई लान/रियायत न लिया गया हो। (22) यदि किसी अर्न्थी द्वारा कोई प्रमाण पत्र फर्जी अथवा कृत्ररचित Submit किया गया गया तो उसे लोक सेवा आयोग के सभी चयनों से र्देव के लिये प्रतिवारित किया जायेगा तथा उसके विरूढ आई पी.सी. की नगस्त धाराओं में कार्यवाही की जायेगी। (23) जिन अर्न्थियों को अर्न्थन निरस्त कर दिये जाते हैं वे अर्न्थी अर्न्थन निरस्त होने के पश्चात् अर्न्थी नहीं रह जाते हैं, अतः उन अर्न्थियों को उनके प्रप्तांक नहीं दिये जायेंगे।

सामान्य अनुशुदेश

1- अंतिम नियत तिथि व समय के पश्चात् किसी भी स्तर के आवेदन पत्र किसी भी ढशा में स्वीकार्य नहीं किये जायेंगे। अपेक्षित सूचनाओं से रहित तथा ऐसे आवेदन पत्र, जिन पर अर्न्थी के फोटो अथवा हस्ताक्षर नहीं होंगे, समय से प्राप होने पर भी सरसरी तौर पर निरस्त कर दिये जायेंगे।

2- सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि व समय तक अर्न्थी द्वारा 'ONLINE APPLICATION' प्रक्रिया में SUBMIT बटन को CLICK करना अनिवार्य है। अर्न्थी अपने द्वारा भरी गई सूचनाओं का प्रिन्ट प्राप्त कर लें और इसे सुरक्षित रखें, किसी विसंगति की ढशा में अर्न्थी को उक्त प्रिन्ट आयोग कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा अन्यथा अर्न्थी को अनुशुध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

3- आरक्षण/आयु सीमा में छूट का लाभ चाहने वाले अर्न्थी सम्न्धित आरक्षित श्रेणी के सम्न्ध में इस विस्तृत विज्ञानपत्र में मुद्रित निर्धारित प्राकुर पर (परिशिद्ध-2) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा की जाये तब वे उसे आयोग को प्रस्तुत करें। एक से अधिक आरक्षित श्रेणी/आयु सीमा में छूट का दावा करने वाले अर्न्थियों को केवल एक छूट, जो अधिक लाभकारी होगी, दी जायेगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, दिव्यांगजन, मृतपूर्व सैनिक तथा उल्कृष्ट/कुशल खिलाड़ियों को जो उ0900 राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें आरक्षण/आयु सीमा का लाभ अनुम्न नहीं है। महिला अर्न्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण-पत्र ही मान्य होंगे।

4- आयोग अर्न्थियों को उनकी पात्रता के सम्न्ध में कोई प्रामार्श नहीं देते हैं, इसलिए उन्हें विज्ञान का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिए और तभी आवेदन करें जब संतुष्ट हो जायें कि वे विज्ञानपत्र की शर्तों के अनुसार अर्न्थ हैं। अर्न्थियों को पद के लिए वांछित सभी अर्न्थत् आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने की अंतिम तिथि तक अवश्य धारित करनी चाहिए।

5- स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों की श्रेणी में केवल पुत्र, पुत्री तथा पुत्र (पुत्र का पुत्र/पुत्री का पुत्र) एवं पौत्रियां (पुत्र की पुत्री/पुत्री की पुत्री, विवाहित/अविवाहित) ही आते हैं। इस श्रेणी के अर्न्थी आरक्षण विषयक प्रमाण-पत्र शासनदेस संख्या- 453/79-बी-1-15-1(क) 14-2015, दिनांक 07.04.2015 द्वारा निर्धारित प्राकुर पर जिलाधिकारी से प्राप्त कर प्रस्तुत करें।

6- किसी कदाचार, किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाने, अनियोजन/आपराधिक वाद लादित होने, दोष सिद्ध होने, एक से अधिक जीवित पति या पत्नी के होने, तथ्यों को गलत प्रस्तुत करने तथा अर्न्थन/चयन के सम्न्ध में सिफारिश करने अर्न्थत् कृत्यों में हिरा पते जाने पर अर्न्थन निरस्त करने तथा आयोग की अप्रति पदपूर्ता व आगामी परीक्षाओं अर् चयनों से प्रतिवारित (Debar) करने का अधिकार आयोग को होगा।

7- यदि अर्न्थी को ऑन-लाइन आवेदन में कोई कठिनाई हो रही है तो आयोग के 'मेल बाक्स' से अपनी कठिनाई/सम्स्या का हल प्राप्त कर सकते हैं।

8- प्रारम्भिक परीक्षा हेतु जिलों की सूची परिशिद्ध-1 पर तथा आरक्षण सम्न्धी प्रमाण पत्रों का प्राकुर परिशिद्ध-2 पर उपलब्ध है। इसी प्रकार प्रारम्भिक एवं मुख्य परीक्षा की परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम क्रमशः परिशिद्ध-3 व परिशिद्ध-4 पर उपलब्ध है।

Detailed Application Form:
At the online page there is a 'Declaration' for the candidates. Candidates are advised to go through the contents of the Declaration carefully. Candidate has the option to either agree or disagree with the contents of Declaration by clicking on 'I Agree' or 'I do not agree' buttons. In case the candidate opts to disagree, the application will be dropped and the procedure will be terminated. Accepting to agree only will submit the candidate's Online Application.

Notification Details
This section shows information relevant to Notification i.e. Notification number, selection type, directorate/department name and post name

Personnel Details from OTR
This section shows information about candidate personnel details i.e. OTR Number, candidate name, Father/Husband name, Gender, DOB, U.P domicile, Category, Marital status, email and contact number, photo & signature, address, UP Freedom Fighter, Ex Army, service duration and your physical challenges, Skilled Player, Outstanding Player of U.P., Debarred candidate. **Education & Experience Details**
It shows your educational and experience details

Declaration segment
At the page there is a 'Declaration' for the candidates. Candidates are advised to go through the contents of the Declaration carefully. After filling all above particulars there is provision for preview your detail before final submission of application form on clicking on "Preview" button. Preview page will display all facts/particulars that you have mentioned in O.T.R. if you are sure with filled details then click on "Submit" button to finally push data into server with successfully submission report that you can print. [CANDIDATES ARE ADVISED TO TAKE A PRINT OF THIS PAGE BY CLICKING ON "PRINT" OPTION AVAILABLE]

For other information candidates are advised to select desired option in 'Home Page' of Commission's website <https://uppsc.up.nic.in>

IMPORTANT ANNOUNCEMENT

- NOTIFICATIONS/ADVERTISEMENTS
- All Notification/Advertisements
- ONLINE APPLICATION FORMS SUBMISSION
- Candidate Registration
- Fee Deposition/Reconciliation
- Submit Application Form
- Modify Submitted Application
- Candidate Dashboard (OTR Based)
- CANDIDATE'S HELP DESK SECTION
- Double Verification mode
- View Application Status
- Download Admit Card
- Print Duplicate Registration Slip
- Print Detailed Application Form
- List of Applications Having ANY Objections
- View Answer Key

LAST DATE FOR RECEIPT OF APPLICATIONS: On-line Application process must be completed (including filling up of OTR, Part-I, Part-II and Part-III of the Form) before last date of form submission according to Advertisement, after which the web-link will be disabled.

परिशिद्ध-1

जिन नगरों में प्रारम्भिक परीक्षा आयोजित की जायेगी वे निम्न प्रकार हैं:- (1) प्रयागराज, (2) लखनऊ।

परिशिद्ध-2

उ0900 की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये जाति प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी सुपुत्र/सुपुत्री श्री निवासी जिला उत्तर प्रदेश राज्य की जाति के व्यक्ति हैं जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 (जैसा कि समय-समय) पर संशोधित हुआ/संविधान (अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है।

श्री/श्रीमती/कुमारी तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम तहसील नगर जिला में सामान्यतया रहता है।

स्थान हस्ताक्षर दिनांक पूरा नाम मुहर पद नाम

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/अन्य वेतन भोगी मजिस्ट्रेट यदि कोई हो/जिला समाज कल्याण अधिकारी।

उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी सुपुत्र/सुपुत्री निवासी तहसील नगर जिला उत्तर प्रदेश राज्य की पिछड़ी जाति के व्यक्ति हैं। यह जाति उ0900 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची-एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।

यही प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी पूर्वोक्त अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची-दो (जैसा कि उ0900 लोक सेवा) (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ0900 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित की गयी है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता-पिता की निरंतर तीन वर्ष की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति भी नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम तहसील नगर जिला में सामान्यतया रहता है।

स्थान हस्ताक्षर दिनांक पूरा नाम मुहर पद नाम

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार।

(प्रपत्र-1)

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्यालय का नाम

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला अन्य एवं परिसम्पत्ति प्रमाण-पत्र

प्रमाण पत्र संख्या दिनांक

वित्तीय वर्ष के लिए मान्य

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी पुत्र/पति/पुत्री ग्राम/कस्बा पोस्ट ऑफिस थाना तहसील जिला राज्य पिन कोड के स्थायी निवासी हैं, जिनका फोटोग्राफ नीचे, अभिप्रमाणित है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य हैं, क्योंकि वित्तीय वर्ष में इनके परिवार की कुल वार्षिक आय 8 लाख (आठ लाख रुपये मात्र) से कम है। इनके परिवार के स्वामित्व में निम्नलिखित में से कोई भी परिसम्पत्ति नहीं है:-

I. 5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा उससे ऊपर।

II. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का प्लॉट।

III. अधिसूचित नगरपालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

IV. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी जाति के सदस्य हैं जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में अधिसूचित नहीं हैं।

हस्ताक्षर (कार्यालय का मुहर सहित) पूरा नाम पदनाम जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार।

(प्रपत्र-II)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थी स्वयं घोषण पत्र स्वयं घोषण पत्र

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी ग्राम/कस्बा

पोस्ट ऑफिस थाना ब्लाक
 तहसील जिला राज्य
 ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रमाण पत्र हेतु आवेदन दिया है, एतद द्वारा घोषणा करता/ करती हूँ:-
 1. मैं जाति से सम्बन्ध रखता/ रखती हूँ, जो उत्तर प्रदेश हेतु अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सूचीबद्ध नहीं है।
 2. मेरे परिवार की कुल श्रौतों (वैतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा इत्यादि) से कुल वार्षिक आय रु (शब्दों में) है।
 3. मेरे परिवार के पास उल्लिखित आय के सिवाय अथवा इसके अतिरिक्त अन्यत्र कोई परिसम्पत्ति नहीं है।

अथवा

कई स्थानों पर स्थित परिसम्पत्तियों को जोड़ने के पश्चात भी मैं (नाम) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के दायरे में आता/ आती हूँ।
 4. मैं घोषणा करता/ करती हूँ कि मेरे परिवार की सभी परिसम्पत्तियों को जोड़ने के पश्चात् निम्नलिखित में से किसी भी सीमा से अधिक नहीं है।
 I. 5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा उससे ऊपर।
 II. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे, अधिक क्षेत्रफल का प्लेट।
 III. अधिसूचित नगरपालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।
 IV. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

मैं प्रमाणित करता/ करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है और मैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण सुविधा प्राप्त करने हेतु पात्रता धारण करता/ करती हूँ, यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य/ गलत पायी जाती है तो मैं पूर्ण रूप में जानता हूँ/ जानती हूँ कि इस आवेदन पत्र के आधार पर दिये गये प्रमाण पत्र के द्वारा शैक्षणिक संस्थान में लिया गया प्रवेश/ लोक सेवाओं एवं पदों में प्राप्त की गई नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी/ कर दिया जायेगा अथवा इस प्रमाण पत्र के आधार पर कोई अन्य सुविधा/ लाभ प्राप्त किया गया है उससे भी वंचित किया जा सकेगा और इस सम्बन्ध में विधि एवं नियमों के अधीन मेरे विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही के लिए मैं उत्तरदायी रहूँगा/ रहूँगी।

नोट:- जो लागू नहीं हो उसे काट दें।
स्थान :- आवेदक/ आवेदिका का हस्ताक्षर तथा पूरा नाम।
दिनांक:-

Form-I
Certificate of Disability
(In cases of multiple disabilities)
 (Name and Address of the Medical Authority/Board issuing the Certificate)

Recent passport size attested photograph (showing face only) of the person with disability

Certificate No. _____ **Date:** _____
 This is to certify that we have carefully examined Shri/Smt./Kum. _____ son/wife/daughter of Shri _____ Date of birth (DD/MM/YY) _____ age _____ years, male/ female _____ Registration No. _____ permanent resident of House No. _____ Ward/Village/ Street _____ Post Office _____ District _____ State _____, whose photograph is affixed above, and am satisfied that:
 (A) he/she is a case of Multiple Disability. His/her extent of permanent physical impairment/disability has been evaluated as per guidelines (.....number and date of issue of the guidelines to be specified) for the disabilities ticked below, and is shown against the relevant disability in the table below:

S. N.	Disability	Affected part of body	Diagnosis	Permanent physical impairment/ mental disability (in%)
1.	Locomotor disability	@		
2.	Muscular Dystrophy			
3.	Leprosy cured			
4.	Dwarfism			
5.	Cerebral Palsy			
6.	Acid attack Victim			
7.	Low Vision	#		
8.	Blindness	#		
9.	Deaf	£		
10.	Hard of Hearing	£		
11.	Speech and Language disability			
12.	Intellectual Disability			
13.	Specific Learning Disability			
14.	Autism Spectrum Disorder			
15.	Mental illness			
16.	Chronic Neurological Conditions			
17.	Multiple sclerosis			
18.	Parkinson's disease			
19.	Haemophilia			
20.	Thalassemia			
21.	Sickle Cell disease			

(B) In the light of the above, his/her over all permanent physical impairment as per guidelines (.....number and date of issue of the guidelines to be specified), is as follows:-
 In figures.....percent.
 In words.....percent
 2. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve.
3. Reassessment of disability is:-
 (i) not necessary, or
 (ii) is recommended/after..... years..... months, and therefore this certificate shall be valid till..... (DD) (MM) (YY)
 @ - e.g. Left/right/both arms/legs
 # - e.g. Single eye
 £ - e.g. Left/Right/both ears
 4. The applicant has submitted the following document as proof of residence:-

Nature of Document	Date of Issue	Details of authority Issuing certificate

5. Signature and seal of the Medical Authority.

Name and Seal of Member	Name and Seal of Member	Name and Seal of the Chairperson

Signature/thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued

Countersigned by the Chief Medical Officer (with seal)

Form-IV
Certificate of Disability
(In cases of other than those mentioned in Forms II and III)
 (Name and Address of the Medical Authority/Board issuing the Certificate)

Recent passport size attested photograph (showing face only) of the person with disability

Certificate No. _____ **Date:** _____
 This is to certify that we have carefully examined Shri/Smt./Kum. _____ son/wife/daughter of Shri _____ Date of birth (DD/MM/YY) _____ age _____ years, male/ female _____ Registration No. _____ permanent resident of House No. _____ Ward/Village/ Street _____ Post Office _____ District _____ State _____, whose photograph is affixed above, and am satisfied that:
 (A) he/she is a case of Multiple Disability. His/her extent of percentage physical impairment/disability has been evaluated as per guidelines (.....number and date of issue of the guidelines to be specified) for the disabilities ticked below, and is shown against the relevant disability in the table below:

S. N.	Disability	Affected part of body	Diagnosis	Permanent physical impairment/ mental disability (in%)
1.	Locomotor disability	@		
2.	Muscular Dystrophy			
3.	Leprosy cured			
4.	Cerebral Palsy			
5.	Acid attack Victim			
6.	Low Vision	#		
7.	Deaf	£		
8.	Hard of Hearing	£		
9.	Speech and Language disability			
10.	Intellectual Disability			
11.	Specific Learning Disability			
12.	Autism Spectrum Disorder			
13.	Mental illness			
14.	Chronic Neurological Conditions			
15.	Multiple sclerosis			
16.	Parkinson's disease			
17.	Haemophilia			
18.	Thalassemia			
19.	Sickle Cell disease			

(Please strike out the disabilities which is not applicable)
 2. The above condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve.
3. Reassessment of disability is:-
 (i) not necessary or
 (ii) is recommended/after..... years..... months, and therefore this certificate shall be valid till (DD/MM/YY)
 @ - e.g. Left/right/both arms/legs
 # - e.g. Single eye/both eyes
 £ - e.g. Left/Right/both ears
 4. Signature and seal of the Medical Authority.

Name and Seal of Member	Name and Seal of Member	Name and Seal of the Chairperson

Signature/thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued

Countersigned by the Chief Medical Officer (with seal)

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शाहीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण), अधिनियम, 1993 (स्थासंशोधित) के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी निवासी ग्राम तहसील नगर जिला उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शाहीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1993 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है और श्री/ श्रीमती/ कुमारी (आश्रित) पुत्र/ पुत्री/ चीर (पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र) तथा पौत्री (पुत्र की पुत्री या पुत्री की पुत्री) (विवाहित अथवा अविवाहित) उपरोक्त अधिनियम, 1993 (स्थासंशोधित) के प्रावधानों के अनुसार उक्त श्री/ श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) के आश्रित हैं।
 स्थान: हस्ताक्षर
 दिनांक: पूरा नाम

उपरो के दिव्यांग व्यक्तियों के लिये प्रमाण-पत्र
(दिव्यांगजन प्रारूप)
Form-II
Certificate of Disability
 (In cases of amputation or complete permanent paralysis of limbs or dwarfism and in case of blindness)
 (Name and Address of the Medical Authority issuing the Certificate)

Recent passport size attested photograph (showing face only) of the person with disability

Certificate No. _____ **Date:** _____
 This is to certify that I have carefully examined Shri/Smt./Kum. _____ son/wife/daughter of Shri _____ Date of Birth (DD/MM/YY) _____ Age _____ years, male/female _____ registration No. _____ permanent resident of House No. _____ Ward/Village/Street _____ Post office _____ District _____ State _____, whose photograph is affixed above, and am satisfied that:
 (A) he/she is a case of:
 ● locomotor disability
 ● dwarfism
 ● blindness
 (Please tick as applicable)
 (B) The diagnosis in his/her case is _____ percent
 (A) he/she has _____ % (in figure) _____ percent (in words) permanent locomotor disability/ dwarfism/blindness in relation to his/her _____ (in words) permanent locomotor disability/ dwarfism/blindness in relation to his/her _____ (part of body) as per guidelines (.....number and date of issue of the guidelines to be specified).
 2. The applicant has submitted the following document as proof of residence:-

Nature of Document	Date of Issue	Details of authority Issuing certificate

3. Signature and seal of the Medical Authority.
 (Dr.....) (Dr.....) (Dr.....)
 Member Member Chairperson
 Medical Board Medical Board Medical Board
 with seal with seal with seal

Signature/thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued

Chief Medical Officer (with seal)

मुहूर
लियाधिकारी
सील

कुशल खिलार्थियों के लिये प्रमाण-पत्र जो उपर, के मूल निवासी की शासनद्वारा संख्या-22/21/1983-कार्यक्रम-2 दिनांक 28 नवम्बर, 1985 प्रमाण-पत्र के फार्म - 1 से 4

प्रमाण-पत्र 1
(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने देश की ओर से अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

सम्बन्धित खेल की राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय एसोसिएशन का नाम
राज्य सरकार की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलार्थियों के लिए प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री निवासी पूरा पता से दिनांक तक (स्थान का नाम) में आयोजित (क्रीड़ा/खेल-कूद का नाम) की प्रतियोगिता/दूर्गमिन्ट में देश की ओर से भाग लिया।

उन्के टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/दूर्गमिन्ट में स्थान प्राप्त किया गया।
यह प्रमाण-पत्र राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय एसोसिएशन/(वर्षों संख्या का नाम दिया जाये) में उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर दिया गया है।

स्थान हस्ताक्षर
दिनांक नाम
पद
संस्था का नाम
मुहूर
स्थान
दिनांक

नोट : यह प्रमाण-पत्र नेशनल फेडरेशन/नेशनल एसोसिएशन के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

प्रमाण-पत्र 2
(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने प्रदेश की ओर से राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

(सम्बन्धित खेल की प्रदेशीय एसोसिएशन का नाम) राज्य सरकार की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलार्थियों के लिए प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री निवासी (पूरा पता) से दिनांक से दिनांक तक (क्रीड़ा/खेल-कूद का नाम) की प्रतियोगिता (दूर्गमिन्ट स्थान का नाम) में आयोजित राष्ट्रीय (क्रीड़ा/खेल-कूद का नाम) की प्रतियोगिता/दूर्गमिन्ट में प्रदेश की ओर से भाग लिया।

उन्के टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/दूर्गमिन्ट में स्थान प्राप्त किया गया है। यह प्रमाण-पत्र (प्रदेशीय संघ का नाम) में उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर दिया गया है।

स्थान हस्ताक्षर
दिनांक नाम
पद
संस्था का नाम
पता
मुहूर
स्थान
दिनांक

नोट : यह प्रमाण-पत्र प्रदेशीय खेल-कूद संघ के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

प्रमाण-पत्र 3
(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने विश्वविद्यालय की ओर से अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

विश्वविद्यालय का नाम राज्य स्तर की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलार्थियों के लिए प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री निवासी के विद्यार्थी हैं दिनांक से दिनांक तक (क्रीड़ा/खेल-कूद का नाम) में आयोजित अन्तर्राष्ट्रियविद्यालय (क्रीड़ा/खेल-कूद का नाम) प्रतियोगिता/दूर्गमिन्ट में विश्वविद्यालय की ओर से भाग लिया।

उन्के टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/दूर्गमिन्ट में स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण-पत्र डीन ऑफ स्पोर्ट्स अथवा इंचार्ज खेल कूद विश्वविद्यालय में उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर दिया गया है।

स्थान हस्ताक्षर
दिनांक नाम
पद
संस्था का नाम
मुहूर
स्थान
दिनांक

नोट : यह प्रमाण-पत्र विश्वविद्यालय के डीन ऑफ स्पोर्ट्स या इंचार्ज खेल-कूद द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

प्रमाण-पत्र 4
(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने स्कूल की ओर से राष्ट्रीय खेल-कूद में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन्स/निदेशक, शिक्षा, उत्तर प्रदेश राज्य स्तर की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलार्थियों के लिए प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री निवासी (पूरा नाम) से दिनांक स्कूल में कक्षा के विद्यार्थी हैं दिनांक से दिनांक तक (स्थान का नाम) में आयोजित स्कूलों के नेशनल गेम्स की (क्रीड़ा/खेल-कूद का नाम) प्रतियोगिता/दूर्गमिन्ट में स्कूल की ओर से भाग लिया। उन्के टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/दूर्गमिन्ट में स्थान प्राप्त किया गया।

यह प्रमाण-पत्र डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन्स/शिक्षा में उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर दिया गया है।

स्थान हस्ताक्षर
दिनांक नाम
पद
संस्था का नाम
मुहूर

नोट : यह प्रमाण-पत्र निदेशक/या अतिरिक्त/संयुक्त या उपनिदेशक डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन्स/शिक्षा द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर होने पर मान्य होगा।

परिशिष्ट-3
रक्षा फंड (आयुर्वेद) परीक्षा
रिद्ध चरण-प्राथमिक परीक्षा
(सामान्य ज्ञान/सामान्य हिन्दी/आयुर्वेद विषय)

परीक्षा योजना	
01-प्रश्नपत्र	एक
02-प्रश्नों की संख्या	170 (सामान्य ज्ञान-30 प्रश्न, सामान्य हिन्दी-20 प्रश्न एवं नर्सिया (आयुर्वेद) विषय -120 प्रश्न)
03-कुल अंक	85 (प्रत्येक प्रश्न 1/2 अंक)
04-समयावधि	3 घण्टा

प्राथमिक परीक्षा हेतु परीक्षा योजना	
1. सामान्य ज्ञान	30 प्रश्न (वस्तुनिष्ठ प्रकारक)
2. सामान्य हिन्दी	20 प्रश्न (वस्तुनिष्ठ प्रकारक)
3. मुख्य विषय नर्सिया	120 प्रश्न (वस्तुनिष्ठ प्रकारक)
कुल प्रश्न	170 प्रश्न
परीक्षा अवधि (समय)	3 घण्टा (180 मिनिट)
पूर्णांक	85 अंक

प्राथमिक परीक्षा का पाठ्यक्रम
सामान्य ज्ञान का पाठ्यक्रम

(1) भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन:- भारतीय इतिहास के अन्तर्गत सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक फलों की सामान्य जानकारी पर महत्व होगा। भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन पर अर्थव्योक्ति से स्वतंत्रता आन्दोलन, राष्ट्रीयता का अनुसूद्ध तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के संबंध में सांख्यिक जानकारी अपेक्षित है।

(2) भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत एवं विश्व का भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल:- भारत के भूगोल के अन्तर्गत देश के भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल से संबंधित प्रश्न होंगे। विश्व भूगोल में विश्व की केवल सामान्य जानकारी अपेक्षित होगी।

(3) भारतीय राजनीति एवं शासन, संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, भारतीय राज, लोकनीति एवं अधिकारिक मूद्दे आदि:- भारतीय राजनीति एवं शासन के अन्तर्गत देश के संविधान, पंचायती राज तथा सामुदायिक विकास सहित राजनीतिक प्रणाली के ज्ञान से संबंधित प्रश्न होंगे।

(4) भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास:- अर्थव्योक्तियों के जनसंख्या, पर्यावरण तथा नगरीकरण से संबंधित समस्याओं एवं पारस्परिक संबंध, भारतीय आर्थिक नीति एवं भारतीय संस्कृति के व्यापक स्वरूप के ज्ञान का परीक्षण किया जायेगा।

(5) राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की सामाजिक घटनायाँ:- इसमें खेलकूद के प्रश्न भी सम्मिलित होंगे।

(6) भारतीय कृषि:- भारत में कृषि, कृषि उत्पाद एवं उसके विपणन के संबंध में सामान्य जानकारी की अपेक्षा अर्थव्योक्तियों से होगी।

(7) सामान्य विज्ञान:- सामान्य विज्ञान के प्रश्न दैनिक अनुभव तथा प्रश्न से संबंधित विषयों सहित विज्ञान के सामान्य परिचय एवं जानकारी पर आधारित होंगे, जिसकी ऐसे किसी भी सुविधाजित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है जिसने वैज्ञानिक विषयों का विशेष अध्ययन नहीं किया है। इसमें भारत के विकास में विज्ञान एवं नीतिगतिकी की भूमिका से संबंधित प्रश्न भी होंगे।

(8) प्राथमिक गणित हाईस्कूल स्तर तक:- अंकगणित, बीजगणित व रेखागणित।

अभ्युक्ति:- अभ्यर्थियों से यह अपेक्षित होगा कि उत्तर प्रदेश के विशेष परिप्रेक्ष्य में उपर्युक्त विषयों का उन्हें सामान्य परिचय हो।

सामान्य हिन्दी	
(1) विलोम	
(2) वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि	
(3) अनेक शब्दों के एक शब्द	
(4) उत्तरम एवं दत्तम शब्द	
(5) विशेष और विशेषण	
(6) पर्यायवाची शब्द	
नर्सिया (आयुर्वेद) विषय का पाठ्यक्रम	

परिचय की परिभाषा, अर्थ एवं क्षेत्र, इतिहास, परिचयों में आधार संहिता, परिचारक के

कर्तव्य एवं दायित्व।
1. परिचर्या:- प्राचीन भारत में उपचार पद्धति, चिकित्सा के चतुष्टाय, उपस्थाता का गुण एवं महत्व, उपस्थाता रोगी की प्रति व्यवहार, रोगी का प्रवेश, प्रतिहारक, रक्षण, परीक्षण, वस्त्र, रोगी की शैया प्रवेश, शैया के प्रकार, रोगी की शैया पर परिचर्या, तापक्रम, नाड़ी, ह्रस्वन गति एवं रक्तचाप मापना, बाई वानना, बाई रिपोट, रोगी को अस्पताल से मुक्त करने का आन आदि। बरित के प्रकार, देने की विधि, बंधन परिचर्या के बांधने की विधि नर्सियों, प्राथमिक सहायता का ज्ञान, परीक्षण नमूनों का संग्रह, शल्य कर्म के पूर्व एवं पश्चात् रोगी की देखभाल, अग्निभास्को को निर्देश, मरणाशय रोगी की देखभाल, मृत्यु के बाद शव की देखभाल, इन्केशन देने की विधि, मृत शवका का ज्ञान, विशेष विधि, निर्दिष्ट, विषहरण, विसंक्रमण, विसंक्रमण द्रव्य एवं विधियों का ज्ञान, संहारण विधियों, कृत्रिम ह्रस्वतन देने की विधियाँ, शल्य कर्म कक्ष की तैयारी, यंत्र-शस्त्र का ज्ञान एवं प्रयोग।

2. आधि विज्ञान एवं उपचार:- व्याधि की परिभाषा, प्रकार, अविद्यत, शारीरिक एवं मानसिक रोग, दोष प्रकोप के लक्षण और उससे उत्पन्न रोग, निदान पंचक।

रोगी की जिविक, अर्थात् एवं दार्शनिक परीक्षण विधियाँ
चिकित्सा की परिभाषा, प्रकार एवं प्रबंधन, अनुमान, पथ्यापथ्य एवं अरिष्ट लक्षण आदि का सामान्य ज्ञान। विभिन्न प्रमुख विधियों के सामान्य लक्षण एवं चिकित्सा।

पंचकर्म - पूर्ववर्त, प्र्यान कर्म एवं पश्चात् कर्म।

3. रचना एवं क्रिया शारीर:- शरीर की परिभाषा घट्टन शरीर, जोतस एवं मर्म शारीर, आंग का लक्षण, शरीर के अंग प्रबंधन एवं कंकाल का ज्ञान, (Musculo-Skeletal System) संघियों (Joints) का वर्गीकरण, रचनात्मक एवं क्रियात्मक ज्ञान, मर्म पेशियों का सामान्य परिचय, रचना की वृद्धि से भेद, दृश्य, धुक्कुस एवं कोटांगों का ज्ञान, विदोष, धातु, मूल मूल विस्तृत ज्ञान, शरीर की समस्त अग्नि, उष्मायु एवं ओज का ज्ञान।

4. स्वस्थगुत्त्व:- स्वस्थ की परिभाषा एवं आरोग्य के सामान्य उपाय, दिनचर्या, ऋतुचक्र, व्यायाम, विश्राम, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, शारीरिक एवं अशारीरिक वेग का ज्ञान। चिकित्सालय में सुखद और स्वच्छ वातावरण, खाद्य एवं पेय पदार्थों की स्वच्छता, रस खाद्य एवं सामुदायिक स्वास्थ्य का ज्ञान।

मूल मूल, कृष्ण आदि का सम्पन्न निरूपण।
जनपदोत्पत्त के कारण वायु, जल, देरा एवं काल की विकृति एवं उनको रोकने के उपाय।

5. जीवाणु परिचर्या:- जीवाणु परिचर्या, प्रकार, संक्रमण मार्ग, जीवाणुओं से होने वाले रोग, रोग की संकेतिका एवं चिकित्सा का सामान्य ज्ञान। उदर कृमि एवं जीवाणुओं का निरक्षण, रक्तादिवाहक, व्यथितत स्वच्छता, शैया मध्य अन्न, विभिन्न नैदानिक परीक्षा, रक्त, मूत्र एवं मूत्र आदि का परीक्षण विधियों का ज्ञान। प्रयोगशाला में पालनीय निदान, माइक्रोस्कोप का प्रयोग, स्ट्राइड स्ट्रेनिंग का सामान्य ज्ञान।

6. मानस रोग:- मन की परिभाषा, कार्य, मानस दोष, प्रज्ञापथक, सत्व परीक्षा, मानसिक रोग, उन्माद, अपभ्रम, योगपरिवार, न्युरोसिप्ता आदि चेदन, अर्धवेदन एवं ओचेदन मानसिक अभ्युक्ति, व्यक्तित्व विकास, मानस रोग परिचर्या, विचारिका के कर्तव्य और रोगी से सहन्युक्ति पूर्व सन्वय।

7. द्रव्यगुण विज्ञान एवं मैथव्य कल्याण:- द्रव्यगुण के मूल सिद्धांत, रस, गुण, कीर्ण, विषाक, प्रभाव एवं कर्म का सामान्य परिचय। औषधि प्रहण काल, विरोधी द्रव्य, अनुमान विधि, परिभाषिका शब्द- लेसन, वेदन, वीचन, पाकन, सत्त्वक, रेचन, अनुलोमन आदि, मुख्य गणोक्त द्रव्यों का ज्ञान- तिक्त, विफला, वरकूल, पंचकोलादि। 0300 सरकार द्वारा स्वीकृत आयुष चिकित्सकों को अनुभूत आयुषिक चिकित्सा की महत्त्वपूर्ण औषधियों तथा आपातकालीन औषधियों का सामान्य ज्ञान।

रस, उपरस, महारस, विष, उषधिष का ज्ञान, शोथन, मारण, गुणकर्म, प्रयोग, पंचविष काव्यकल्याण एवं हिम, फण्य कर्ण, वार्त, रसक्रिया, सत्व, अर्क आदि का निर्माण एवं प्रयोग अभ्युक्ति हेतु मत्तानुसार चरखस मोहन, मिणंग, पथ्य कल्याण।

8. अक्षुति विज्ञान एवं बालरोग:- प्रसूतन अंगों का रचनात्मक एवं क्रियान्मक ज्ञान, राजस्वला परिचर्या, आर्तचक्र, आर्व स्वल्प, अंतःजातीयविधियों एवं काय का ज्ञान, गर्भावकान्ति, गर्भ की मातानुसारिक वृद्धि, परिचर्या, गर्भावस्था में मिलने वाले विभिन्न लक्षण, परीक्षण, प्रयोगशाला परीक्षा, मार, रक्तचाप आदि, यमन गर्भ, अग्रकृत गर्भ, गर्मिणी परिचर्या, गर्मिणी रोग एवं उष्का उपचार, प्रसव पूर्व कर्म, प्र्यान कर्म, प्रसव की विधि न अवास्थाओं का ज्ञान एवं प्रबंधन, सूतिका परिचर्या, सूतिका व्यापद, नवजात शिशु परिचर्या, स्तन एवं स्तन्यजनन एवं स्तन्यरोधन औषधियों, प्रसवकालीन आवात, जनजात विकृतियाँ शिशुओं की सामान्य व्याधियों, रिक्रिया के सामान्य शल्य कर्म का ज्ञान और सावधानियाँ। शल्य कर्म में प्रयुक्त यंत्रों एवं सर्जनों का ज्ञान, नवजात शिशुओं के प्रथम प्रयत्नानाम के यंत्रों का ज्ञान, प्रसव एवं शल्यकर्म की तैयारी, वंज एवं मशीनों का ज्ञान। परिचर्या कल्याण कार्यकर्म, गर्भरक्षक उपायों का एवं टीकाकरण ज्ञान। मात-शिशु जन्य एवं मृत्यु सम्बन्धी अधिकारों का ज्ञान।

नोट:- उपर्युक्त प्रश्न चरण की प्राथमिक परीक्षा (वस्तुनिष्ठपरक) में उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही नियमानुसार द्वितीय चरण की मुख्य परीक्षा (परम्परागत) में सम्मिलित हो सकेंगे।

परिशिष्ट-4
द्वितीय चरण-मुख्य परीक्षा
(नर्सिया (आयुर्वेद) विषय)

परीक्षा योजना	
01-प्रश्नपत्र	एक
02-प्रश्नों की संख्या	09 (05+04)
03-कुल अंक	85 (25+60)
04-समयावधि	3:00 घण्टा

ध्यातव्य है कि संसत पाठ्यक्रम के आधार पर नर्सिया (आयुर्वेद) विषय (परम्परागत) के प्रश्नपत्र की रचना दो खण्डों में होगी, जिसमें अंकों का विभाजन निम्नवत् होगा :-
खण्ड-अ - में कुल 05 खण्ड उत्तरणीय प्रश्न होंगे। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न 05 अंकों का होगा। (अधिकतम शब्द सीमा 125)
खण्ड-ब - में कुल 08 वीर्य उत्तरणीय प्रश्न होंगे, जिसमें से 04 प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का होगा। (अधिकतम शब्द सीमा 300)
नोट:- मुख्य (लिखित) परीक्षा हेतु नर्सिया (आयुर्वेद) विषय का पाठ्यक्रम प्राथमिक परीक्षा के नर्सिया (आयुर्वेद) विषय की भांति ही रहेगा। सचिव